

# कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी।

सन्वत् सं०- ५११ / बी.जे.

दिनांक- 17 मार्च, 2021

## आदेश

पेरे संज्ञान में यह लक्ष्य था कि किसी कर्मचारी द्वारा अवकाश के लिये आवेदन किया जाने पर बिना किसी टिप्पणी के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश अग्रसारित किया जा रहा है।

मूल नियम 67 के अनुसार किसी भी अवकाश का दस्ता या मांग अधिकारस्वरूप नहीं किया जा सकता। यह निर्दिष्ट किया जाना समीचीन है कि अवकाश प्रार्थनापत्र पर निर्णय लेते समय मद्रासक नियम 99 के अन्तर्गत निम्न तथ्यों पर विचार किया जा सकता है।

1. यह कि क्या उक्त कर्मचारी के बिना, अवकाश अवधि में न्यायालय/कार्यालय का कार्य सरलता/सुचारु रूप से चलाया जा सकता है ?
2. यह कि पिछली बार उपरोक्त कर्मचारी द्वारा कब व किस स्वभाव का अवकाश लिया गया है।
3. क्या आवेदक द्वारा अल्प अन्तराल में बार-बार अवकाश (किसी भी प्रकार के अवकाश) के लिये आवेदन किया जा रहा है ?

अतः पीठासीन अधिकारीगण से अपेक्षित है कि वह उक्त बिन्दुओं पर (तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित कर्मचारी से लिखित जानकारी लेने के उपरान्त) अपनी संक्षिप्त टिप्पणी/आख्या सहित अवकाश आवेदन को अग्रसारित करें।

इस आदेश की एक-एक प्रति सभी पीठासीन/अनुभाग प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाये।

( ज्योत्सना शर्मा )

जनपद न्यायाधीश,  
झांसी।

प्रतिलिपि..... A.D.J., F.T.C.

..... (I.Y.E.C.)

सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

*li*

3/c मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जिला न्यायालय, झांसी

17.03.2021

18.03.2021

SEON. KOP in enclosed

Recd. 18.03.2021

*li*

18.03.2021



# कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी ।

सन्दर्भ सं०- 286 /डी.जे.

दिनांक- 11 नवम्बर, 2021

## आदेश


मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ कर्मचारीगण अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के अवकाश आवेदन कर रहे हैं, जबकि इस न्यायिक अधिष्ठान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की अत्यधिक कमी है, जिस कारण अवकाश पर जाने वाले कर्मचारीगण के स्थान पर अन्य कर्मचारी को पदस्थ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित पूर्व आदेश संदर्भ संख्या 54/डी०जे० दिनांक-17.03.2021 का भी पूर्णरूपेण पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी पीठासीन अधिकारी एवं अनुभाग प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी के सभी प्रकृति के अवकाश आवेदनों पर पूर्व पारित आदेश संदर्भ संख्या 54/डी०जे० दिनांक-17.03.2021 के अनुसार अपनी टिप्पणी सहित तभी अग्रसारित करे, जबकि आवेदक कर्मचारी का अवकाश अति आवश्यक एवं सही तथ्यों के आधार पर हो एवं कम से कम अवधि के लिये हो।

इस अनुक्रम में सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी समय यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी कर्मचारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार अवकाश आवेदन किया गया है या प्राप्त किया गया है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश की एक-एक प्रति सभी न्यायालयों एवं अनुभागों में अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

  
( ज्योत्सना शर्मा )  
जनपद न्यायाधीश,  
झांसी ।

12.11.2021  
12.11.2021

11/12

# प्रशासनिक कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी।

संदर्भ संख्या- 264/डी0जे0

दिनांक- 13.10,2021

## आदेश

नियमानुसार सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपनी शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक (Dress) में रहना चाहिए, किन्तु मेरे संज्ञान में यह आया है कि कई कर्मचारीगण निर्धारित पोशाक में नहीं आ रहे हैं, यह उचित नहीं है।

अतः एतद्वारा सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी शासकीय कार्य अवधि में आई कार्ड सहित, निर्धारित पोशाक (Dress) में रहे। भविष्य में यदि किसी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक में नहीं पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इस संदर्भ में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं अनुभागों के प्रभारी अधिकारीगण सुनिश्चित हों कि उनके अधीनस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपनी शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक (Dress) में रहें।

इस आदेश से सभी संबंधित अनुपालनार्थ सूचित हों।

  
( ज्योत्सना शर्मा )  
जनपद न्यायाधीश,  
झांसी।

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 25. 08. 2021

नोटिस

बनाम


कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विषय:- प्रकीर्ण सिविल अपील सं०- 5/ 2021 हरगोविन्द आदि बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि में आदेश दिनांक- 11. 08. 2021 का अनुपालन न किये जाने से संबंध में ।


आपको अवगत कराया जाता है कि उक्त पत्रावली स्थानान्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुयी । दिनांक- 11. 08. 2021 के आदेशानुसार विद्वान अधिवक्तागणों को नियत तिथि की सूचना दिये जाने का आदेश हुआ और आपको अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया ।

अतः अनुपालन न करने के बावत अपना स्पष्टीकरण अन्दर तीन दिन प्रस्तुत करें ।

  
25.08.2021  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

  
25/8/21

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश  
झाँसी ।


विषय:- कु० खुशनुमा ( सहायक लिपिक) के गैर हाजिर रहने व पत्रावलियाँ पेश न किये जाने के संबंध में सूचना ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में कार्यरत लिपिक कु० खुशनुमा आज दिनांक- 21. 09. 2021 को बिना किसी सूचना के गैर हाजिर है और उक्त कर्मचारी द्वारा आज पेश होने वाली पत्रावलियों को न तो कल दिनांक- 20. 09. 2021 को सांय काल में भेजा गया और न ही आज दिनांक- 21. 09. 2021 को प्रातःकाल में भेजा गया । इस कारण न्यायिक कार्य उक्त कर्मचारी के बिना किसी सूचना के गैर हाजिर रहने व पत्रावलियाँ न्यायालय में पेश न किये जाने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है ।

सूचना माननीय महोदया की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय

  
( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 21. 09. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नक:-

श्री बाल्मीकि साहू ( वरिष्ठ लिपिक) को प्रेषित नोटिस व लिपिक की आख्या मूल ( 02) ।

  
21. 09. 21

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 21. 09. 2021


नोटिस

बनाम


श्री बात्मीकि साहू, वरिष्ठ लिपिक ।

विषय:- आज दिनांक- 21. 09. 2021 को पेश होने वाली पत्रावलियाँ व कार्यालय लिपिक कु० खुशनुमा के संबंध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि समय लगभग 10. 45 AM हो रहा है । अभी तक आज पेश होने वाली पत्रावलियाँ न्यायालय में नहीं आयी हैं और न ही कु० खुशनुमा न्यायालय में उपस्थित हैं । कु० खुशनुमा के अय्यकाश पर रहने और पत्रावलियाँ न्यायालय में पेश न होने के संबंध में आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिससे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को इस संबंध में सूचित किया जा सकें ।

  
21/09/2021  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

श्री बात्मीकि साहू,  
वरिष्ठ लिपिक ।  
  
21-9-21

11/5

0/c

सेवा में:

श्रीमान अवर जिला जज / फि.न.सि. 147/11/12,  
आँसी

विषय: दिनांक-21-9-21 को पेश होने वाली पत्रावलियाँ  
के लिखित सुश्रुता के संबंध में आस्था मोठी - गाने  
के संबंध में।

प्रत्येक,

विनम्र निवेदन है कि न्यायालय में दिनांक-  
21-9-21 की पत्रावलियाँ नहीं आयी हैं।  
एवं कार्यालय लिखित सुश्रुता द्वारा  
कोर्स सूचना या अवकाश की जाल पत्र  
प्राप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली कार्यालय में  
कोर्ट/निकलकर नहीं रखा गया।  
श्रीमान जज की आस्था सादर  
चेखित।

दिनांक 21-9-21

प्राप्ति 12/5  
जाली कि साहु  
लिखित  
न्यायालय म.स.सि. 147/11/12  
आँसी

11/6

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 27. 10. 2021

नोटिस

बनाम

कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

विषय:- सत्र वाद सं०- 734/ 2021 राज्य बनाम गजराज उर्फ शर्मा की पत्रावली के बावत ।

आपको अवगत कराया जाता है कि सत्र परीक्षण सं०- 52/ 2010 राज्य बनाम राकेश आदि की पत्रावली में दिनांक- 13. 09. 2021 को आदेश पारित किया गया व गजराज उर्फ शर्मा की पत्रावली पृथक किये जाने का आदेश हुआ ।

अतः निम्नलिखित के बावत दिनांक- 28. 10. 2021 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।

1. आपने आदेश दिनांक- 13. 09. 2021 का अनुपालन अविलम्ब क्यों नहीं किया?
2. आदेश पत्र दिनांक- 28. 09. 2021 का भी आपने समय से अनुपालन क्यों नहीं किया?
3. दिनांक- 12. 10. 2021 को आपने पत्रावली पृथक की, विलम्ब का कारण दर्शाये ।
4. आपने सूचीपत्र क्यों नहीं बनाया?
5. आपने सुसंगत कागजात सत्र वाद सं०- 734/ 2021 में दिनांक- 26. 10. 2021 तक क्यों नहीं रखें?



( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।



विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 28. 10. 2021

नोटिस

बनाम

कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

विषय:- सत्र परीक्षण सं०- 311/ 2014 राज्य बनाम साजन उर्फ चाँद अली में जमानतदार के सत्यापन प्रपत्र को सूचीबद्ध न किये जाने व सत्यापन हेतु प्रेषित किये जाने का कोई उल्लेख आदेश पत्र में न किये जाने के संबंध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा पत्रावली दिनांक- 27. 10. 2021 को हस्ताक्षर कराने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी, तब ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा अभियुक्त के जमानतदारों का सत्यापन हेतु प्रेषित किये जाने का कोई उल्लेख आदेश पत्र पर अंकित नहीं किया गया और न ही सत्यापन प्रपत्रों को सूचीबद्ध किया गया । उक्त सत्यापन प्रपत्र बाद सत्यापन किस तिथि को प्राप्त हुए, इसका भी आपने कोई उल्लेख नहीं किया ।

अतः आप इस बावत अपना स्पष्टीकरण आज ही प्रस्तुत करें कि आपने सत्यापन प्रपत्रों को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया और सत्यापन हेतु भेजे जाने व सत्यापन उपरान्त प्राप्त होने के बावत आदेश पत्र पर उल्लेख क्यों नहीं किया ।

  
28.10.2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 28. 10. 2021

नोटिस

बनाम


कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी, ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विषय:- सत्र परीक्षण सं०- 163/ 2016 राज्य बनाम जीशान शेख आदि अंतर्गत धारा- 147, 148, 149, 302, 504 IPC  
थाना प्रेमनगर जिला झाँसी में साक्षी पी०डब्लू०- 8 देवेन्द्र कुमार दुबे ( निरीक्षक ) का बयान पत्रावली में शामिल न  
होने व पत्रावली व्यवस्थित न होने के संबंध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि आज उक्त पत्रावली में अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा- 313 दं०प्र०सं०  
आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया और कुछ बयान अंकित किये जाने के बावत पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी और कुछ  
बयान मेरे द्वारा आशुलिपिक को कम्प्यूटर पर अंकित कराया जा रहा था । साक्षी पी०डब्लू०- 7 के बयान अंकित होने के  
पश्चात जब साक्षी पी०डब्लू०- 8 के बावत प्रश्न अंकित कराया जा रहा था तभी ज्ञात हुआ कि साक्षी पी०डब्लू०- 8 देवेन्द्र कुमार  
दुबे का बयान पत्रावली पर संलग्न नहीं है ।

अतः आप साक्षी पी०डब्लू०- 8 देवेन्द्र कुमार दुबे का बयान तलाश कर पत्रावली पर शामिल कर अपनी आख्या  
अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिससे उक्त पत्रावली में अभियुक्तगण का बयान अंकित किया जा सके ।

  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F T C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 02. 11. 2021

विषय:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी के आदेश संदर्भ सं०- 264/DJ दिनांकित- 13. 10. 2021 के खुशनुमा द्वारा निधोरित पोशाक मे न आकर काले रंग की पोशाक पहनकर आने के संबन्ध मे ।

अवगत कराना है कि खुशनुमा जो इस न्यायालय की कर्मचारी है । आज दिनांक- 02. 11. 2021 को निधोरित पोशाक ( Dress ) मे न आकर काले रंग की पोशाक ( Dress ) मे आयी है ।

अतः पेशकार, आशुलिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं कोर्ट मोहररिइ इस बावत आज ही अविलम्ब आख्या प्रस्तुत करे ।



02-11-2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

1. श्री बाल्मीकि साहू ( पेशकार ) श्रीमान् जी उपरोक्त कथन सत्य है 02-11-21
2. श्री मोहित कुमार ( आशुलिपिक ) श्रीमान् जी उपरोक्त कथन सत्य है 02-11-21
3. श्री मोहित शर्मा ( अर्दली ) श्रीमान् जी उपरोक्त कथन सत्य है 02-11-21
4. श्रीमती संगीता पटेल ( अर्दली ) श्रीमान् जी उपरोक्त कथन सत्य है 02-11-21
5. सुश्री चेतना ( कोर्ट मोहररिइ ) श्रीमान् जी उपरोक्त कथन सत्य है 02-11-21

11/9

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 02. 11. 2021

नोटिस

बनाम

कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी, ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।


विषय:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश के संदर्भ सं०- 264/ DJ दिनांकित- 13. 10. 2021 के अनुपालन में निर्धारित पोशाक ( Dress ) में उपस्थित न आने के संबंध में ।

अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त विषय के बावत आदेश पारित किया गया है और आज आप निर्धारित पोशाक ( Dress ) में नहीं आयी हैं, बल्कि काले रंग का सूट पहने हुयी हैं । इस प्रकार आपने श्रीमान जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित- 13. 10. 2021 का उल्लंघन किया है ।

अतः आप आज ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्या आप श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दिये गये उक्त आदेश के अनुपालन में निर्धारित पोशाक ( Dress ) में न आकर काले रंग की पोशाक ( Dress ) पहनकर आयी हैं, क्यों न श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को इस बावत सूचित किया जाए ।

कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण से भी इस बावत आख्या आज ही तलब हो ।

  
21/11/21

  
02/11/2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

11/10

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 03. 11. 2021

नोटिस

बनाम


कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी, ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विषय:- दिनांक- 02. 11. 2021 को दिये गये नोटिस बावत निर्धारित पोशाक ( Dress ) में न्यायालय में उपस्थित न होने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के संबंध में ।

अवगत कराना है कि आप दिनांक- 02. 11. 2021 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी द्वारा संदर्भ सं०- 264/ DJ दिनांकित- 13. 10. 2021 के अनुपालन में निर्धारित पोशाक ( Dress ) में न्यायालय में नहीं आयी थी, जिस बावत आपको अपरान्ह काल में नोटिस दिया गया था, जिसका आपने कोई जबाव नहीं दिया ।

आपने वांछित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया । अतः इस बावत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण क्यों नहीं प्रस्तुत किया । यह भी अवगत कराना है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना आदेश की अवज्ञा करने की श्रेणी में आता है ।

  
03.11.2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

11/11

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

दिनांक: 14. 03. 2022

नोटिस

बनाम

1. खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।


विषय : श्रीमान जनपद न्यायाधीश के सन्दर्भ सं० 264/D. J. दिनांकित 13. 10. 2011 के अनुपालन में निर्धारित पोशाक ( Dress ) में न्यायालय में न आने के बावत दिये गये नोटिस दिनांकित का स्पष्टीकरण नियत समय तक प्रस्तुत न करने के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 02. 03. 2022 को न्यायालय कार्यावधि में निर्धारित पोशाक ( Dress ) में उपस्थित न होने के बावत आपको नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका आपने निर्धारित समयावधि में कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, इसके अतिरिक्त पूर्व में भी निर्धारित पोशाक ( Dress ) में उपस्थित न होने के बावत दिये गये नोटिस का आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त अवधियों के नोटिस के बावत अपना स्पष्टीकरण अन्दर दो दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 14. 03. 2022

K  
14/3/22

  
14.03.2022  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

11/15

में

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विषय- नोटिस बनाम कार्यालय में निर्धारित पोशाक में उपस्थित न होने के स्पष्टीकरण दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थिया का सफेद सूट साफ न होने के कारण प्रार्थिया कार्यालय में निर्धारित पोशाक में उपस्थित होने में असमर्थ थी ।

श्रीमान जी से निवेदन है कि भविष्य में प्रार्थिया द्वारा यह भूल दुबारा नहीं की जायेगी । प्रार्थिया को क्षमा करने की कृपा करें ।

सादर ।

दिनांक - 22. 3. 22

प्रार्थिया

  
खुशनुमा

( सहायक लिपिक )

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

C.) झांसी  
नवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्रिभुवन  
न्यायालय (चौदहवीं विनियम आयोग भोजनान्तर्गत गणित)  
भोपाली ।

विषय :- आकरिमक अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिया का अत्यंत स्वास्थ्य  
जबराब हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ  
है ।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिया को  
दिनांक - 06/10/2021 का आकरिमक अवकाश स्वीकृत करने  
की कृपा करें ।

आदर ससम्मान ।

दिनांक - 06/10/2021

प्रार्थिया  
~~शुभानुमा~~  
शुभानुमा

(अद्यत लिपित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्रिभुवन न्यायालय  
(चौदहवीं विनियम आयोग भोजनान्तर्गत गणित)  
भोपाली ।

06/10/2021  
श्रीमान को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्रिभुवन न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें ।

दिनांक 06-10-21  
श्रीमान जी के अतिरिक्त शुरुआत में  
को उसके मो० न० 6597199265  
पर प्रतः 10:27 बजे सूचना के  
ग सन्धि है ~~उक्त~~ को मिलाकर अवकाश स्वीकृत करने  
बाद आ सकती ।

सा.प.  
दि० 06-10-21



सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
जनपद न्यायालय झाँसी

द्वारा

श्रीमान् भूपट्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाँसी  
एफ० टी० सी० 14वें वित्तसंयोग योजनांतर्गत द्वारा गठित।

महोदया,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थिया दिनांक 16.10.21  
से दिनांक 25.10.21 तक (दस दिनों) अर्जित अवकाश  
पर थी। प्रार्थिया आज दिनांक 26.10.21 को समय से  
न्यायालय उपस्थित आयी है।

अतः महोदया से ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिया को  
कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की  
कृपा करें। प्रार्थिया आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

दिनांक - 26.10.21

प्रार्थिया  
Chushumma  
रुकुण्डमा

26.10.2021

अग्रसारण आख्या पृष्ठ पर अंकित है।



26.10.2021

(सहायक लिपिक)  
ए० टी० जे० झाँसी  
एफ० टी० सी० 14वें  
वित्तसंयोग योजनांतर्गत  
द्वारा गठित।

कु० खुशनुमा, सहायक लिपिक ने दिनांक- 13. 10. 2021 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था जो " सम्पूर्ण कार्य निष्पादित करने व कोई कार्य शेष न रहने के बावत स्वीकृत हुआ था" । उक्त कर्मचारी ने दिनांक- 13. 10. 2021 को सम्पूर्ण कार्य किये बिना मुख्यालय छोड़ दिया । प्रभारी अधिकारी विवरण पत्र / विशेष न्यायाधीश ( डी०ए०ए०) झांसी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित- 21. 10. 2021 के बावत यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त कर्मचारी द्वारा माह सितम्बर, 2021 से संबंधित त्रैमासिक विवरण पत्र प्रशासनिक कार्यालय में नहीं प्राप्त कराया गया और इस संबंध में प्रशासनिक लिपिक द्वारा दिनांक- 08. 10. 2021 को अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किया गया तथा उक्त कर्मचारी को त्रैमासिक विवरण पत्र व मासिक संगोष्ठी से संबंधित नक्शा प्रस्तुत करने हेतु उक्त लिपिक को मौखिक रूप से कोई बार अवगत कराया गया, किन्तु उक्त लिपिक द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और उक्त कर्मचारी दिनांक- 13. 10. 2021 को सम्पूर्ण कार्य निष्पादित किये बिना मुख्यालय छोड़कर चली गयी । इसके अतिरिक्त कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी के संदर्भ सं०- 261/DJ दिनांकित- 07. 10. 2021 के अनुपालन में उक्त कर्मचारी को विवरण पत्र / आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया और उसका भी अनुपालन किये बिना उक्त कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर चली गयी ।

तदनुसार अग्रसारित ।



26.10.2021

# कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी ।

सन्दर्भ सं०- 54 /डी.जे.

दिनांक- 17 मार्च, 2021

## आदेश

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि किसी कर्मचारी द्वारा अवकाश के लिये आवेदन किये जाने पर बगैर किसी टिप्पणी के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश अग्रसारित किया जा रहा है।

मूल नियम 67 के अनुसार किसी भी अवकाश का दावा या मांग अधिकारस्वरूप नहीं किया जा सकता। यह उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि अवकाश प्रार्थनापत्र पर निर्णय लेते समय सहायक नियम 99 के अन्तर्गत निम्न तथ्यों पर विचार किया जा सकता है-

1. यह कि क्या उक्त कर्मचारी के बिना, अवकाश अवधि में न्यायालय/कार्यालय का कार्य सरलता/सुचारु रूप से चलाया जा सकता है ?
2. यह कि पिछली बार उपरोक्त कर्मचारी द्वारा कब व किस स्वभाव का अवकाश लिया गया है।
3. क्या आवेदक द्वारा अल्प अन्तःसाल में बार-बार अवकाश (किसी भी प्रकार के अवकाश) के लिये आवेदन किया जा रहा है ?

अतः पीठासीन अधिकारीगण से अपेक्षित है कि वह उक्त बिन्दुओं पर (तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित कर्मचारी से लिखित जानकारी लेने के उपरान्त) अपनी संक्षिप्त टिप्पणी/आख्या सहित अवकाश आवेदन को अग्रसारित करें।

इस आदेश की एक-एक प्रति सभी पीठासीन/अनुभाग प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाये।

( ज्योत्सना शर्मा )

जनपद न्यायाधीश,  
झांसी ।

प्रतिलिपि..... A.O.J. E.T.C.  
..... (14 E.C.)

सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित ।  
आज्ञा से

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जिला न्यायालय, झांसी  
17.03.2021

18.03.2021  
Secy. ROP in enclosed  
Award list  
18.03.2021

**प्रशासनिक कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, झांसी।**

संदर्भ संख्या- 264/डी0जे0

दिनांक- 13.10,2021


**आदेश**

नियमानुसार सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपनी शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक (Dress) में रहना चाहिए, किन्तु मेरे संज्ञान में यह आया है कि कई कर्मचारीगण निर्धारित पोशाक में नहीं आ रहे हैं, यह उचित नहीं है।

अतः एतद्द्वारा सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी शासकीय कार्य अवधि में आई कार्ड सहित, निर्धारित पोशाक (Dress) में रहे। भविष्य में यदि किसी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक में नहीं पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इस संदर्भ में सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं अनुभागों के प्रभारी अधिकारीगण सुनिश्चित हों कि उनके अधीनस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपनी शासकीय कार्य अवधि में निर्धारित पोशाक (Dress) में रहें।

इस आदेश से सभी संबंधित अनुपालनार्थ सूचित हों।

  
( ज्योत्सना शर्मा )  
जनपद न्यायाधीश,  
झांसी।

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 14. 03. 2022

नोटिस

बनाम

1. खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक ।


न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

विषय :दिनांक 26. 02. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय उपस्थित न आने की उपस्थिति पंजिका किसी अन्य के माध्यम से हस्ताक्षर करवाकर स्वयं को उपस्थित दर्शाये जाने के संबंध में ।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 26. 02. 2022 (चतुर्थ शनिवार) को अथ न्यायालय उपस्थित नहीं आयी और न ही उक्त तिथि पर आप न्यायालय परिसर में ही उपस्थित थीं । आपने उपस्थिति पंजिका पर किसी अन्य के माध्यम से हस्ताक्षर करवाकर स्वयं को उपस्थित दर्शाया है जबकि उक्त तिथि पर आप गैर हाजिर रहीं थीं ।

अतः इस बावत अपना स्पष्टीकरण अन्दर दो दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि आपने अनुमति प्राप्त रहने के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्ज कराये जाने के बावत इस प्रकार का अति गंभीर कृत्य क्यों करते हैं ।

दिनांक: 14. 03. 2022

  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

  
14/3/22

11/17

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक: 07.04.2022

नोटिस

बनाम

1. खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

विषय :दिनांक 26.02.2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय उपस्थित न आने व उपस्थिति पंजिका पर किसी अन्य के माध्यम से हस्ताक्षर करवाकर स्वयं को उपस्थित दर्शाये जाने के संबंध में दिये गये नोटिस दिनांकित 14.03.2022 का नियत समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के संबंध में ।

दिनांक 26.02.2022 (चतुर्थ शनिवार) को आपके न्यायालय उपस्थित न आने व आपके द्वारा उपस्थिति पंजिका पर किसी अन्य के माध्यम से हस्ताक्षर करवाकर स्वयं को उपस्थित दर्शाये जाने के बावत आपको दिनांक 14.03.2022 को नोटिस दिया गया था और अन्दर 02 दिन स्पष्टीकरण तलब किया गया था, जिसका आपने अभी तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है ।

अतः अपना स्पष्टीकरण अन्दर दो दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें और नोटिस का जवाब नियत समय में प्रस्तुत न करने के बावत भी स्पष्टीकरण उक्त अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें ।।

दिनांक:07.04.2022

  
07.04.2022

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

11/18

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ( F. T. C. )  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) झांसी ।

विषय:- नोटिस दिनांक 07. 04. 2022 के स्पष्टीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

सादर निवेदन करना है कि प्रार्थिया दिनांक 26. 02. 22 ( चतुर्थ शनिवार ) को आयी थी । प्रार्थिया विलम्ब से आने के कारण प्रार्थिया ने ASO Office में उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाये थे । श्रीमान जी प्रार्थिया कार्य की व्यस्तता के कारण 14. 03. 2022 के नोटिस का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थी । श्रीमान जी से प्रार्थिया अपने इस कृत्य की क्षमा माँगती है । भविष्य प्रार्थिया द्वारा यह कृत्य कभी नहीं दोहराया जायेगा । श्रीमान जी प्रार्थिया को क्षमा करने का कष्ट करें ।

आख्या सादर प्रस्तुत ।

दिनांक - 08. 04. 2022

प्रार्थिका  
Khusnuma  
Khusnuma  
खुशनुमा  
( सहायक लिपिक )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC) झांसी ।  
चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक: 15. 04. 2022

नोटिस

बनाम

1. श्री बाल्मीकि साहू ( पेशकार)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

2. श्री धर्नंजय कुमार पाल ( आशुलिपिक)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

3. श्री मनोज साहू द्वितीय ( वरिष्ठ सहायक)


न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

विषय :दिनांक 26. 02. 2022 ( चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा के गैर हाजिर रहने व उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 26. 02. 2022 ( चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी कु० खुशनुमा अनुपस्थित रही थी और इस तिथि पर वह कार्यालय में आयी ही नहीं थी, जबकि उपस्थिति पंजिका पर उसके हस्ताक्षर पाये गये थे। यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आने पर उक्त कर्मचारी से पूछताछ की गयी जिसमें उक्त कर्मचारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उक्त तिथि पर वह न्यायालय नहीं आयी थी और इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उपस्थिति पंजिका पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस संबंध में उक्त कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया जिसमें उसने यह कथन किया कि उसने प्रशासनिक कार्यालय में जाकर उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाये थे।

अतः आप आज दिनांक 15. 04. 2022 को अपराह्न 13:00 बजे तक इस बावत अपनी आख्या प्रस्तुत करें कि क्या उक्त कर्मचारी दिनांक 26. 02. 2022 को इस न्यायालय के कार्यालय में न्यायालय कार्य अवधि के दौरान उपस्थित रही थी और क्या आपने उक्त कर्मचारी को न्यायालय के कार्यालय में देखा था।

दिनांक: 15. 04. 2022



( विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

① श्री प्रकाश आर्य 15-4-22  
② श्री प्रकाश आर्य की कपी फाइल  
③ श्री प्रकाश आर्य की कपी फाइल  
15-4-22

11/20

—



सेवा में

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

विषय

दिनांक 26. 02. 2022 ( चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी सुश्री खुशनुमा की उक्त दिनांक को उपस्थिति के बावत आख्या ।

महोदय

ससम्मान पूर्वक निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 26. 02. 2022 ( चतुर्थ शनिवार) को समय करीब 9:55 A. M. पर न्यायालय का मुख्य द्वार खोल दिया था और पिछले दिन का बचा हुआ कार्य कर रहा था । इसी दौरान समय करीब 11:00 बजे प्रशासनिक कार्यालय से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका मँगाया गया था । प्रार्थी स्वयं उपस्थिति पंजिका लेकर प्रशासनिक कार्यालय पहुँचा दिया । इस दौरान समय करीब 11:00 बजे तक इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी सुश्री खुशनुमा न्यायालय एवं कार्यालय में उपस्थित नहीं थी, न ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर थे । न्यायालय व कार्यालय कार्य अवधि के दौरान उक्त कर्मचारी को नहीं देखा ।

श्रीमान जी की सेवा में आख्या सादर प्रेषित ।

प्रार्थी



बाल्मीकि साहू

( पेशकार)

दिनांक- 15. 04. 2022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

11/21